सप्तदश

बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 28 अग्रहायण, 1944 (श०)
19 दिसम्बर, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	गन्ना उद्योग विभाग	01
(2)	गृह विभाग	03
	कुल योग --	04

न्याय दिलाना

27. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न कारागारों में लगभग 21,000 वैसे कैदी हैं जिनपर लगे आरोपों के लिये अधिकतम अवधि बीत जाने के बाद भी अबतक वे जेल में बंद हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनके परिवार के लोग न्याय के लिये मुकदमा लड़ने में भी सक्षम नहीं हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त 21,000 कैदियों को न्याय दिलाते हुये कबतक कारागार से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का आवंटन नहीं करना

28. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1313.00000 लाख रुपये आवंटित राशि के विरुद्ध मात्र 387.44358 लाख रुपया एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि 2850.00000 लाख रुपये के विरुद्ध मात्र 1097.47921 लाख रुपया मात्र व्यय हो पाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये गन्ना विकास योजना के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित है परंतु वित्त विभाग का स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण गन्ना विभाग को अबतक आवंटन प्राप्त नहीं हो सका है जिसके कारण मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के लाभ से राज्य के किसान वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राशि खर्च नहीं करने तथा प्रावधानित राशि का आवंटन नहीं करने का क्या औचित्य है ?

निलंबन का औचित्य

29. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 23925/18 एवं साथ अन्य याचिका पर दिनांक 3 मई, 2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 21 जून, 2021 एवं 22 जून, 2021 को पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के साथ आहूत बैठक में पटना जिला बल के दिनांक 4 नवम्बर, 2018 को बर्खास्त 144 पुलिस कर्मियों को दिनांक 9 जुलाई, 2021 को नियुक्त कराया गया, परन्तु नियुक्ति की तिथि से पुनः सभी 144 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया, यदि हाँ, तो नियुक्त कर पुनः निलंबित करने का क्या औचित्य है ?

साइबर अपराध पर रोक लगाना

30. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीमांचल में 10 हजार से अधिक साइबर अपराध के मामले 101 थानों में दर्ज है, जिसमें अभीतक 10 प्रतिशत का भी अनुसंधान नहीं हुआ है जबकि प्रतिदिन प्रत्येक थाना में साइबर अपराध के 2 से 5 नये मामले आ रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीमांचल सहित राज्य के थानों में अन्य केसों के दबाव में साइबर अपराध के मामले पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे आम आदमी आये दिन साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं और साइबर अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीमांचल सहित राज्य की जनता को साइबर अपराध से बचाने के लिये राज्य में साइबर अपराध पर सख्ती से रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 54(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550